



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

UTTARAKHAND AYURVEDA UNIVERSITY

(उत्तराखण्ड सरकार का स्वायत्तशासी निकाय; विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

(An Autonomous body of Uttarakhand Government; registered u/s 2(f) of UGC Act, 1956; Member of AIU)

रेलवे रोड़, हरवाला, देहरादून (उत्तराखण्ड) – 248001 Railway Road, Harrawala, Dehradun (UK) - 248001

Phone : +91-135-2685993; Fax : +91-135-2685124; Email : uttarakhandayurved@gmail.com; Website : www.uau.ac.in

संख्या : 2862

दिनांक : 20.01.2026

तृतीय विशेष स्ट्रै वेकेन्सी चरण विज्ञापित

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में स्नातक हेतु नीट यू0जी0-2025 की मेरिट के आधार पर शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/ बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय परिसरों में राजकीय कोटे एवं निजी क्षेत्र में स्थापित कॉलेजों की सीटों पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माध्यम से केन्द्रीकृत काउंसिलिंग (**Centralized Counselling**) कर विभिन्न काउंसिलिंग चरणों के माध्यम से सीट आवंटन की कार्यवाही सम्पादित की जानी है। एन0सी0आई0एस0एम0 नई दिल्ली के पत्र संख्या 1/1/2025- AACCC दिनांक 13.01.2026 के द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि दिनांक 23 जनवरी, 2026 तक निर्धारित करने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, मॉप-अप चरण, स्ट्रै वेकेन्सी, विशेष स्ट्रै वेकेन्सी चरण एवं द्वितीय विशेष स्ट्रै वेकेन्सी चरण काउंसिलिंग की रिक्त सीटों को **तृतीय विशेष स्ट्रै वेकेन्सी चरण** की काउंसिलिंग से भरे जाने हेतु निम्नतिथियों का निर्धारण किया जाता है:-

तृतीय विशेष स्ट्रै वेकेन्सी चरण की यू0ए0यू0सी0 यू0जी0- 2025 काउंसिलिंग हेतु समय सारणी:-

Online Registration & Fresh Registration and Fee Submission	21.01.2026
Display of Merit & Physical Reporting in Uttarakhand Ayurved University and allotment of seats by Counseling Board.	22.01.2026 Physical Reporting from 09: AM to till 11:AM
Last date of joining the allotted college	23.01.2026 up to 05: PM

1- आयुष स्नातक पाठ्यक्रम (बी0ए0एम0एस0 / बी0एच0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0) की तृतीय विशेष स्ट्रै वेकेन्सी चरण काउंसिलिंग में सम्मिलित होने हेतु नियम/शर्तों:-

- नीट- 2025 में अर्ह अभ्यर्थी जो प्रथम बार पंजीकरण कर रहे हों।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण/मॉप-अप/ **स्ट्रै वेकेन्सी एवं विशेष स्ट्रै वेकेन्सी/ द्वितीय विशेष स्ट्रै वेकेन्सी चरण** काउन्सिलिंग में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई हों।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रथम/द्वितीय/तृतीय/मॉप-अप / **स्ट्रै वेकेन्सी/विशेष स्ट्रै वेकेन्सी** काउन्सिलिंग एवं **तृतीय विशेष स्ट्रै वेकेन्सी चरण** में आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण ना की गयी हो और **तृतीय विशेष स्ट्रै वेकेन्सी** चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हो। तो वे नियमानुसार प्रतिभाग कर सकते हैं।
- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित आयुष स्नातक काउंसिलिंग (AACCC) में जिन अभ्यर्थी को **अनअर्ह (ineligible)** घोषित किया गया वह इस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विशेष **तृतीय विशेष स्ट्रै वेकेन्सी चरण** चरण में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं।

2- आन-लाईन तृतीय विशेष स्ट्रै वेकेन्सी चरण काउन्सिलिंग हेतु पंजीकरण शुल्क एवं सिक्योरिटी शुल्क:-

- उपरोक्तानुसार पात्र प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी को तृतीय विशेष स्ट्रै वेकेन्सी चरण की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग/सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी को **धनराशि रु0 2000/- (दो हजार रु0 मात्र) नान रिफनडेबल पजीकरण शुल्क** के रूप में केवल ऑनलाईन माध्यम से ही जमा कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में वे तृतीय विशेष स्ट्रै वेकेन्सी चरण काउन्सिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन हेतु अर्ह **नहीं** माने जायेंगे।
- जिन अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा सीट आवंटित की जायेगी उन अभ्यर्थियों के द्वारा विश्वविद्यालय को सिक्योरिटी शुल्क के रूप में रु0 **15000/- (पंद्रह हजार रु0 मात्र)** ऑन-लाईन के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। जिसके उपरांत ही सम्बंधित अभ्यर्थी को आवंटित पत्र (Allotment letter) प्रदान किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह सिक्योरिटी शुल्क के रूप में रु0 **15000/- (पंद्रह हजार रु0 मात्र)** की व्यवस्था करें। नगद राशी स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऑन-लाईन के माध्यम से ही रु0 **15000/- (पंद्रह हजार रु0 मात्र)** लिया जायेगा। यदि सम्बंधित अभ्यर्थी आवंटित पत्र (Allotment letter) डाउनलोड करने के उपरांत निर्धारित समय के अंतर्गत प्रवेश नहीं लेता है तो सिक्योरिटी शुल्क जब्त कर लिया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थी यू0ए0यू0सी-यू0जी0- 2025 की विवरण पुस्तिका (information brochure) का भली भांति अध्ययन कर लें।
- दिनांक 22.01.2026 को उपस्थित नीट- 2025 अर्ह अभ्यर्थी जिनके द्वारा दिनांक 21.01.2026 को ऑन-लाईन पंजीकरण नहीं कराया है वह दिनांक 22.01.2026 को ऑन-लाईन पंजीकरण (प्रातः 09:00 बजे से 11:00 बजे प्रातः तक) विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर करा सकते हैं।

3- तृतीय विशेष स्ट्रै वेकेन्सी चरण की काउंसिलिंग हेतु सामान्य दिशा-निर्देश:-

- अभ्यर्थियों को तृतीय विशेष स्ट्रै वेकेन्सी चरण चरण की काउंसिलिंग हेतु ऑन-लाईन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। केवल पंजीकृत अभ्यर्थियों को सीट आवंटन किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग बोर्ड के सम्मुख उपस्थित होना होगा। इस हेतु अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थित होना होगा। केवल उपस्थित अभ्यर्थियों को ही काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन किया जायेगा।
- **तृतीय विशेष स्ट्रै वेकेन्सी चरण चरण की सीटों का आवंटन दिनांक 22.01.2026 को काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा किया जायेगा, अभ्यर्थी अपने आने/जाने/रहने एवं खाने का प्रबंध स्वयम करें। 22.01.2026 को प्रातः 09:00 बजे से 11:00 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय (10:00 बजे) के उपरांत उपस्थित होने पर प्रवेश प्रक्रिया/आवंटन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा एवं प्रवेश/सीट आवंटन हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।**
- अभ्यर्थी अपने साथ निम्नलिखित अभिलेखों की स्वः प्रमाणित एक प्रतियां साथ में लाएं:-
 - Third Special Stray Vacancy Round Application Form Print
 - Coloured passport size photographs (two)
 - High School (10th) Certificate for Ageproof.
 - Intermediate (10+2) Certificate.
 - Intermediate (10+2) Marksheet.
 - NEET 2025 Admit Card
 - NEET 2025 Result/Rank letter
 - Certificate of Reserve category, if applicable (SC, ST, OBC, EWS)
 - Certificate of Sub Category, if applicable. (for Domicile/Permanent resident of Uttarakhand only)
 - Ex servicemen /Dependent of Ex servicemen (DPW)/Dependent of FF/PwD(PH) category certificate issued by competent authority of Uttarakhand state only, if applicable.

- Certificates required for Ward of Kashmiri Migrants, if applicable.
- Domicile Certificate (For Uttarakhand domicile candidate only)
- Valid ID proof (preferably Aadhar Card/Passport/Driving License etc)

काउंसिलिंग स्थल:– उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, रेलवे रोड, हरवाला, देहरादून।

4– अन्य सामान्य नियम/शर्तें

- विस्तृत जानकारी हेतु UAUCUG- 2025 information brochure का अध्ययन भली-भांति कर लें।
- काउंसिलिंग की प्रक्रिया, समय-सारणी, अद्यतन सीट मैट्रिक्स, एवं काउंसिलिंग संबंधी अन्य जानकारियाँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट uau.ac.in पर विभिन्न लिंकों के माध्यम से अपलोड की जा रही है एवं भविष्य में भी काउंसिलिंग संबंधी प्रत्येक अद्यतन जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही अपलोड की जायेगी। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना (Call Letter) नहीं भेजी जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से विश्वविद्यालय वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

नोडल अधिकारी, काउंसिलिंग